राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1421/2013

बत्तूलाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है एवं वर्तमान में अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुण्डेरा डूंगर, जिला दौसा में है। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी का कार्मिक है। प्रत्यर्थी विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में जिला दौसा में कार्यरत कर्मचारियों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की है, जिसमें अपीलार्थी का नाम 110 नम्बर पर है। क्रम संख्या 81 तक के व्यक्तियों को पदोन्नति का लाभ दिनांक 23.07.2013 तक दिया जा चुका है। आदेश दिनांक 23.07.2013 के द्वारा 20 व्यक्तियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आदेश दिनांक 23.07.2013 पारित किया है, जो अनुलग्नक–3 है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि कनिष्ठ लिपिक के पदों में 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति कर पद भरे जाने होते हैं। प्रत्यर्थी विभाग ने 15 प्रतिशत रिक्तियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भरी है परन्तु पदोन्नति देते समय रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया और आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। पदोन्नति अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति को दी गयी है। कोटे के अनुसार तीन एसटी श्रेणी के व्यक्तियों से पद भरे जाने चाहिए थे, परन्तु आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। इस कारण से अपीलार्थी को रोस्टर के अनुसार लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना की गयी है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति में एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत कोटे का लाभ दिया जाए एवं अपीलार्थी को उपरोक्त के अनुसार लाभ देकर पदोन्नति प्रदान की जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि उत्तरदाता प्रत्यर्थी विभाग के शिविरा नवम्बर–1999 में प्रकाशित आदेश के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्टॉफ नियम–1957 के नियम–7(3) के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु निर्धारित 15 प्रतिशत अभ्यांश पर जो पदोन्नति करते हैं, उसमें रोस्टर प्रणाली लागू कर रहे हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग क–द्वितीय ग्रुप के परिपत्र संख्या–एफ.7 (4) कार्मिक/क–2/73 दिनांक अक्टूबर–1990 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उन पदों में ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण लागू है, जिस पर सीधी भर्ती का अंश यदि कोई हो, 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है। चूंकि कनिष्ठ लिपिक पद का सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक 85 प्रतिशत है। अतः इस पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु आरक्षण लागू नहीं होता है। अतः इस पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति हेतु आरक्षण लागू नहीं होता है।
4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
5. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति में 15 प्रतिशत पदोन्नति से भर्ती की गयी है। उसमें आरक्षण प्रणाली लागू नहीं की गयी है और उसके अनुसार अपीलार्थी को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। उसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि रिक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु निर्धारित 15 प्रतिशत पदों पर अभ्यांश पर पदोन्नति प्रदान करते हैं। उसमें रोस्टर प्रणाली लागू नहीं होती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग क–द्वितीय ग्रुप के परिपत्र संख्या–एफ.7(4)कार्मिक/क–2/73 दिनांक अक्टूबर, 1990 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उन पदों में ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण लागू है, जिस पर सीधी भर्ती का अंश यदि कोई हो, 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अतः कार्मिक विभाग के उपरोक्त परिपत्र के आधार पर 15 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति पर आरक्षण की रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की गयी है। उपरोक्त रोस्टर की प्रणाली परिपत्र के अनुसार लागू नहीं की गयी है, जिसमें हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते है।
6. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)